Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला झालावाड़ तहसील मनोहरथाना के पटवार हल्का पिण्डोला का पटवारी 4,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 12 फरवरी बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री रामनिवास बैरवा पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़** को परिवादी से 4,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी झालावाड़ कों परिवादी द्वारा दिनांक 11.02.2025 को शिकायत दी गई की प्रार्थी पिछले 10 साल से चारागाह भूमि पर खेती करता आ रहा है, जो करीब 2.5 बीघा है, जिसका सरकार की तरफ से जुर्माना आता था जिसको प्रार्थी समय पर जमा करवा देता था। पिछले दो साल से जमीन का जुर्माना आना बन्द हो गया तो परिवादी पिण्डोला हल्का के पटवारी श्री रामनिवास से मिला तो उसने जुर्माना चालू करने की एवज में 5,000 रूपये रिश्वत मांग कर एक हजार रूपये पूर्व में प्राप्त किये तथा 4,000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर दिनांक 11.02.2025 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये जाने पर परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया गया। जिस पर दिनांक 12.02.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ए.सी.बी. कोटा रेंज कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीना के सुपरविजन में ए.सी.बी. झालावाड़ चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगराम मीना द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री रामनिवास बैरवा पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ को परिवादी से 4,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।